न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

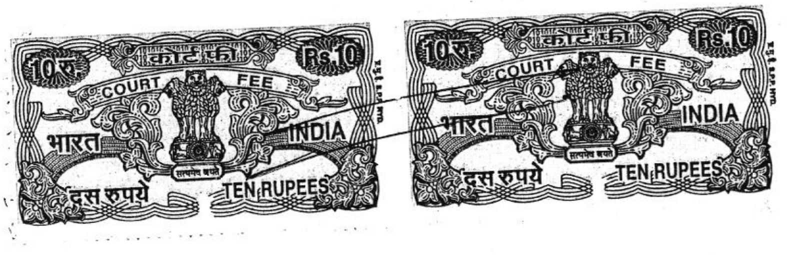

457
11-8-14

Rs. 20/-

R. 2793-II/14

बाबूलाल बसोर पिता ललिया बसोर निवासी ग्राम कमर्जी, तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 --------- -- निगरानीकर्ता

बनाम

रजवा बसोर तनय ललिया बसोर निवासी ग्राम कमर्जी, तह0 चुरहट जिला सीधी म0प्र0 ---------- गैरनिगराकार

श्री..विजय कुमार मिश्रा.. एड
द्वारा आज दिनांक..11.8.14.. के
प्रस्तुत किया गया।
11.8.14
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अति0 आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के द्वितीय अपील क्रमांक 998/ अपील/2012-13 आदेश दिनांक18-6-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता सन 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य

विचारण न्यायालय: तहसीलदार के न्यायालय: द्वारा स्वमेव प्रकरण क्र0 1356/09-10 आदेश दिनांक30-10-2010 को आवेदक रजवा बसोर को गलत व अवैधानिक ढंग से प्रदूषित प्रक्रिया के माध्यम से पटवारी हल्का कमर्जी के लिये स्थायी रूपसे कोटवार नियुक्त किया गया था जिसकी अपील श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R -2743–दो–.2014 **जिला सीधी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश बाबूलाल बसोर / रजवा वसोर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–02–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 998 / अपील / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 18.6.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री विजय कुमार मिश्रा एवं आवेदक स्वयं तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री उदयनाथ सिंह एवं अनावेदक स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र दिनाक 26.6.2015 को स्वीकार करने एवं उक्त प्रस्तुत राजीनामा पत्र के आधार पर प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तओं एवं आवेदक तथा अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र दिनांक 26.6.15 का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के निवेदन पर विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र दिनांक 26.6.2015 स्वीकार किया जाकर प्रकरण मुताबिक राजीनामा इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	